जिला दण्डाधिकारी एवं उपायुक्त का कार्यालय, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

(जिला निर्वाचन शाखा)

Ph.- 0657-2423533, E-mail- es-election-jhr@nic.in,purvisinghbhumelection@gmail.com

अति अल्पकालीन निविदा

इस कार्यालय के ज्ञापांक– 140/जि.नि. दिनांक 08.02.2019 द्वारा आसन्न लोकसभा निर्वाचन 2019 में उपयोग के लिए टेंट–शमियाना, मुद्रण, विडियोग्राफी, डिजिटल कैमरा फोटोग्राफी (फोटोग्राफर के साथ) आदि के लिए दिनांक 21.02.2019 को 11:00 पूर्वाह्न तक निर्धारित शर्तो एंव बंधेजो के अधीन अति अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की गई थी। निविदा के क्रम संख्या 08 (सी.सी.टी.भी./रंगीन टीवी/एल. सी. डी.) हेतु मात्र दो निविदादाता द्वारा दर अंकित किया गया था । दोनों निविदादाताओं का इस क्षेत्र में अनुभव नहीं होने के कारण पुनः नये निविदा आमत्रिंत करने का निर्णय जिला निर्वाचन क्रय समिति द्वारा लिया गया।

तद्नुसार आसन्न लोकसभा निर्वाचन–2019 के नामांकन से मतगणना तक किराये पर निम्नलिखित कार्य के लिए :– (1) 600 (छः सौ) विडियो कैमरा लगभग (ऑपरेटर सहित)

(2) डिजिटल कैमरा तथा एल.सी.डी. (ऑपरेटर सहित)

(3) सी.सी.टी.भी, कैमरा, एंव एल.सी.डी. (आवश्यकता के अनुसार)

उपरोक्त तीन प्रकार के कैमरा आदि हेतु दिनांक 18.03.2019 को 11:00 पूर्वाह्न तक निर्धारित शर्तो एवं बंधेजों के अधीन निविदा आमंत्रित की जाती है । निविदा दिनांक 18.03.2019 को अपराह्न 12:30 बजे खोला जाएगा।

ह०/–

जिला निर्वाचन पदाधिकारी–सह–उपायुक्त,
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

निविदा के शर्तें

01. निविदा के साथ जिला निर्वाचन पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम के पदनाम से 50,000.00(पचास हजार) रुपये का बैंक ड्राफ्ट जमा करना अनिवार्य होगा।
02. निविदा के साथ GST निबंधन का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
03. झारखण्ड उद्योग विभाग द्वारा निर्गत निबंधन प्रमाण–पत्र/उद्योग आधार संलग्न करना आवश्यक होगा।
04. निविदा के साथ कार्यानुभव प्रमाण पत्र आदि हो तो संलग्न करेंगे।
05. निविदादाता को इस आशय का शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा कि उनकी फर्म किसी भी सरकारी संस्थान में काली सूची में दर्ज नही है।
06. निविदा खोलने के समय सामग्री का नमूना प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। नमूना हेतु प्राप्त सामग्री की गुणवत्ता के आधार पर निविदा का निष्पादन किया जायेगा।

07. स्वीकृत नमूना के अनुरूप ही सामग्रियों की आपूर्ति करना अनिवार्य होगा। नमूने के अनुरूप सामग्रियाँ नहीं पाए जाने पर सामग्रियाँ स्वीकार्य नहीं होगा।

08. आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर सामग्री की आपूर्ति सुनिश्चित करना होगा।

09. निविदा दिनांक **18/03/2019** के **12:30 बजे अपराह्न** अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में निविदादाताओं की उपस्थिति में खोली जाएगी।

10. न्यूनतम अनुमोदित दर पर एक से अधिक निविदादाताओं के बीच आपूर्ति आदेश निर्गत करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।

11. निविदा को बिना कारण बताये स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित होगा।

12. निविदा दो भागों **(तकनीकि/वित्तीय)** में जमा करना अनिवार्य होगा।
    क) तकनीकि से संबंधित मांगे गए आवश्यक प्रमाणपत्र तथा बैंक ड्राफ्ट एक लिफाफा में रहेगा।
    ख) लिफाफा के उपर साफ साफ **"तकनीकि निविदा"** लिखा होना अनिवार्य होगा।
    ग) वित्तीय निविदा संबंधित लिफाफा में सामग्री एवं दर अंकित रहेगा।

13. तकनीकि निविदा में सफल निविदादाता के ही वित्तीय निविदा पर विचार किया जाएगा।

14. सफल निविदादाता द्वारा निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत सामग्रियों की आपूर्ति नही किए जाने पर उनकी जमानत की राशि जब्त कर ली जाएगी एवं विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।

15. आवश्यकता अनुसार विडियोग्राफी कैमरा/सी0सी0टी0भी0 कैमरा आदि की संख्या बढ़ाया एंव घटाया जा सकता है।

16. निविदा का निष्पादन में किसी भी प्रकार की नयी शर्ते लगाने अथवा निणर्य लेने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित होगा।

ह0/-

जिला निर्वाचन पदाधिकारी–सह–उपायुक्त,
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

ज्ञापांक : 324 /जि.नि. जमशेदपुर, दिनांक : 07/03/2019

प्रतिलिपि :– जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि, सूचना का प्रकाशन अनिवार्य रूप से ससमय स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में (जमशेदपुर हिन्दी संस्करण में) करवाने की कृपा करेंगे।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

7.3.19

जिला निर्वाचन पदाधिकारी–सह–उपायुक्त,
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।